कार्यालय, जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज

आदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 148, दिनांक 06.04.2021 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या 03/प्र.–बजट आवंटन (3055)–01/2021–59,, दिनांक 06.04.2021 के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021–2022 में व्ययार्थ कोटिवार प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत निम्नांकित प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि निम्नरूपेण उपावंटित किया जाता है :–

क्र.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	उपावंटित राशि			कुल योग
		विपत्र कोड			
		मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष –00–लघुशीर्ष–199– अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33.01. सबसिडी	मुख्यशीर्ष 3055–सड़क परिवहन–उपमुख्य शीर्ष–00 –लघुशीष–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना– उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	मुख्यशीर्ष 3055–सड़क परिवहन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	
1	बहादुरगंज	6,00,000.00	2,00,000.00	3,00,000.00	11,00,000.00
2	ठाकुरगंज	4,00,000.00	2,00,000.00	3,00,000.00	9,00,000.00
3	किशनगंज	1,00,000.00	0.00	0.00	1,00,000.00
4	दिघलबैंक	0.00	2,00,000.00	1,00,000.00	3,00,000.00
5	कोचाधामन	9,00,000.00	6,00,000.00	0.00	15,00,000.00
6	पोठिया	4,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	6,00,000.00
7	टेढ़ागाछ	1,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00	5,00,000.00
कुल योग :–		25,00,000.00	15,00,000.00	10,00,000.00	50,00,000.00

1. संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपावंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 148, दिनांक 06.04.2021 में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे।

2. यह उपावंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम.–4–50/98–2561वि(2), दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।

3. लाभुकों को सबसिडी की राशि का भुगतान बिहार गजट संख्या 823, दिनांक 5.9.2018 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 6480, दिनांक 09.09.2020 के आलोक में पूरी छानबीन एवं आवश्यक जॉच के बाद हीं किया जायेगा। साथ हीं, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुकों के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो विभ्रगीय अधिसूचना संख्या 6297, दिनांक 8.8.2019 के आलोक में लाभुक से वित्त पोषक संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा हस्ताक्षरित RTGS TRANSFER प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा। साथ हीं, इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि का लाभुक के बैंक खाते से ऋण देनेवाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 6297, दिनांक 8.8.2019 का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।

4. उपावंटित राशि की निकासी किशनगंज कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

5. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक 302 /जि.परि., दिनांक 12/04/2021

प्रतिलिपि :– संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटनादेश को किशनगंजजिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्थापना उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कर्णांकित राशि CFMS के माध्यम से अविलम्ब अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उनके आवंटनादेश संख्या संख्या 03/प्र.–बजट आवंटन (3055)–01/2021–59, दिनांक 06.04.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।।

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।